

- जिसने साश्वाकर्त में उच्चतर अंक अर्जित किए हैं को अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा। यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो जन्म विधि के अनुसूल प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अथवा जिस उम्मीदवार की आयु अधिक है तो साप्रायकिता दी जायेगी। अंत में यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो बराबरी का समाधान नाम के अन्वय क्रम को संदर्भित करते हुए किया जाएगा अथवा जिस उम्मीदवार का नाम अंशक क्रम में पहले आता है तो वरीयता दी जायेगी।
16. मारा आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तें पूरी करने से किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिए कोई अधिकार नहीं हो जायेगा।
17. पात्रता मानदंड पूरा किये बौरे पद के लिये अनलाइन परीक्षा अथवा साश्वाकर में अल्पसूचीकरण से उम्मीदवार को पद पर अंतिम विनाप के लिये कोई दावा नहीं हो जायेगा।
18. उम्मीदवारों को अतिरिक्त अनुबोधों के लिये एफसीआई द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं, का पालन करना चाहिए।
19. इन स्थितियों का भरा जाना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी कानूनी मामले के परिणाम के विषयाधीन होगा।
20. किसी भी चरण में आवेदन के परिणाम के बारे में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. चयनित उम्मीदवारों को निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
22. लिखित परीक्षा के लिये कोई जारी भूता नहीं दिया जायेगा। यद्यपि साश्वाकर में उपस्थित होने के लिए रेलवे टिकट/बस टिकट बुलब्ब काएं जाने के विषयाधीन सभसे छोटे मार्ग से अन्वे-जाने के द्वितीय ब्रेंगी रेलवे अथवा साथाप्ने बस किए एक प्रारंभात किया जाएगा।
23. उम्मीदवारों को अवध्य सुनिश्चित रूप से उम्मीदवार को पद के लिये कोई दावा नहीं दिया जाएगा। अनुभव और अयु आदि से पूरा करता है। उम्मीदवारों को पद संभुव कर लेना चाहिए कि वह सभी पात्रता मानदंड जैसे कि अंहता, अनुभव, आयु आदि 01.03.2021 को पूरा करता है। उम्मीदवारों को पद संभुव कर और अवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वह अपेक्षित होने वाली की अवध्यार्थी की स्वीकारात्मा का कोई अधिकार नहीं हो जायेगा और उम्मीदवारों को इसे बुलावा पत्र जारी से उम्मीदवारी की स्वीकारात्मा का कोई अधिकार नहीं हो जायेगा। उम्मीदवारों को पद संभुव करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार को है कि उम्मीदवार द्वारा लाये गये दस्तावेज संबंधित पद के लिये अनेकानुसार हर तरह से पूर्ण हैं। किसी भी चरण में दस्तावेज आगे सत्यापन के विषयाधीन है।
25. जो उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं उन्हें विनापों के अनुसार और बोर्ड सूची के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
26. आवेदन पत्र के साथ कोई शूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज भेजना अप्रियत होती है, अन्यथा कि इस बारे में कोई अलग से निवेदण दिया गया हो, उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए व्यक्तितः उपर्युक्त होने और पात्रता मानदंड के समर्थन में शूल दस्तावेज जैसे कि फहचावन पत्र, जन्म तिथि, ब्रेंगी, आरामण, यदि कोई द्वृत् है, हाईकोर्ट अंहता, अनुभव, अनापति प्रमाणपत्र, नाम परिवर्तन आदि निरापति स्थान पर प्रस्तुत करें, यदि ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर उन्हें अल्पसूचीबद्ध कर दिया जाता है, जिसके बारे में निश्चित वेबसाइट : (www.fci.gov.in) के जरूर उन्हें सचित्र अधिसूचित किया जाएगा। यद्यपि शूल प्रमाणपत्रों की जांच/सत्यापन दस्तावेज सत्यापन चयन के समान किया जाएगा।
27. पर्याप्त विद्या गता कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भाषा में है, इसकी जागतिक अधिकारी अथवा नोटरी से विधित सत्यापित अंग्रेजी अथवा हिन्दी में द्वास्क्रिप्ट प्रस्तुत करनी होती है।
28. भारतीय खाद्य निपात अपने विभावनानुसार पूर्ण-परीक्षा अयोगित करने अथवा किसी भी चरण में उम्मीदवारों से कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. किसी भी प्रकार से निगम को प्रक्रियत करने के लिये किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अदोग्यता हो सकती है और उम्मीदवारी नामंजूह की जा सकती है।
30. अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सा की दृष्टि से फिल पाये जाने और जहां कहीं लाग ई प्रमाणपत्र, चौरिप, पूर्ववृत्त और जाति आदि के सत्यापन के अधीन होती है।
31. परीक्षा के आयोजन और मिर्टल सूची दियावर करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का फैसला अंतिम और उम्मीदवारों के लिये व्याधकारी होगा तथा इस संबंधित में किसी शूलावापनपत्र के बावजूद अपेक्षित करते होते हैं।
32. ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होगा जिसकी कोई सेवा अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभावनानुसार सार्वजनिक बैंक द्वारा उक़ल की सेवा से बहस्तर या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया है।
33. नियुक्ति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसके बारे में नियम पर्याप्ती से युड़े किसी अपराध के लिये अतिरिक्त दोषीवृद्धि की हो।
34. अजा/पीडीसीआई और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भूलातन से छूट है।
35. कांप विनापेंट उम्मीदवारों को छोड़कर, पर के लिये आवेदन करने वालों को बैटिंग कार्ड (रेपोर्टीवीसी/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंस्टरेट बैंकिंग, अईएमपीएस, कैश कार्ड/गोइल वॉलेट, यूपीआई का प्रयोग करते हुए स्कॉर पर पूर्ण गैर सूचना उपलब्ध कराते हुए 1000/- रु. आवेदन शुल्क (पीएसटी सहित पांतु बैंक प्रबाल रित) का मुकाबन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
36. परीक्षा के संचालन में कुछी संघीय प्रत्याक्षरी भी संभाग से पूरी तरह इकान करता है कि किया जा सकता हो जो कि टैस्ट डिलीवरी और प्रयाप्तवाहा होने से रेपोर्टिंग को प्रतिक्रिया कर सकती है, ऐसी अस्थिरी में इस तरह को समर्थन में सुधार करने के सभी प्रयोग किये जायेंगे, जिसमें उम्मीदवारों के शूलावापन, परीक्षा में देई शामिल हो सकती है। पुनः परीक्षा का आयोजन परीक्षा आयोजन संस्था के पूर्ण विवेकानांगी होगा। पुनः परीक्षा के लिये उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा। जो उम्मीदवार मूलवृत्त करने के लिये इच्छुक नहीं होगे अथवा टैस्ट डिलीवरी की देई की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं होगे तो उन्हें प्रक्रिया से समाप्त होता है पर नामंजूह कर दिया जायेगा।
37. परीक्षा एक से अधिक स्रद के लिये प्रयोग से हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के स्क्रोल को विभिन्न सदृश में प्रयुक्त प्रिन्ट-प्रिन्ट टैस्ट बैटिंग के नियन स्तर में योद्धा और करने के लिये कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न होती है है अंथवा अक्षमता कम होती है तो अपेक्षित होने पर एक से अधिक स्रद हो सकता है।
38. व्यक्तिगतः उम्मीदवारों के प्रत्युत (उत्तर) का सही और गत उत्तरों की समानता की प्रदत्तता का पाल लगाने के लिये अन्य उम्मीदवारों के साथ पूल्यूनेंकन किया जायेगा। यदि शूलावापन प्रक्रिया में वह पाता चला/प्रिंट-प्रिंट निकला कि प्रत्युतों को आपस में छाना गया है और प्राप्त स्कॉर वास्तविक/वैध नहीं है, भारतीय खाद्य निपात के पास संबंधित उम्मीदवारों की प्रयोग रोकने और उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
39. स्कॉर पर पूर्णचरों की प्रक्रिया।
- ऑनलाइन परीक्षा के स्कॉर सेटिंग्स नियन्त्रित किया जाएगा।
- (I) कोई उम्मीदवार द्वारा प्रयोग संस्कृनेल परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तरों की संख्या को स्कॉर लाइसिल करने हेतु विचार करने में लिया जायेगा।
- (II) इस तरह उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सभी स्कॉर इवेंट्स एवं पर पूर्णचरों के लिये मिन्म-मिन्म संज्ञों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनाश परीक्षाओं में कठिन स्तर में, यदि कोई है, छोटे-मोटे अंतर को द्यान में रखते हुए समाक्ष बनाया जाता है। *किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सभी स्कॉर क्रान्ति के लिये उपर्युक्त करते हुए अथवा कोई उम्मीदवारों की भरी जायेगा।
40. भारोमीट्रिक छाटा-कैपेटिंग और सत्यापन
- भारोमीट्रिक छाटा (हाथ के आँखों का निशान) और उम्मीदवारों का फोटोग्राफ ऑनलाइन परीक्षा की सिध्धि को ग्राह किया जाएगा। यादीकरण विद्युतीय (मिलान होता है अथवा नहीं) के संबंध में भारोमीट्रिक छाटा सत्यापन प्राप्तिकारी का निष्पत्ति अंतिम और उम्मीदवारों के संयोगी होगा।

2. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये हैं : -

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण
-------------------	--------------------	---

(अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर एवं मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान, जिसके पश्च में विकलांगता
प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र - 6
विकलांगता प्रमाणपत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)

[देखें नियम 18 (1)]

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

परिशिष्ट - घ 2

प्रपत्र - 7
विकलांगता प्रमाणपत्र
(प्रपत्र 5 एवं 6 में विलिखित से भिन्न मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता का नाम और पता)

[देखें नियम 18 (1)]

विकलांग व्यक्ति का
नया पासपोर्ट आकार का
सन्तानिपत्र फोटो (केवल
चेहरे का)

दिनांक :

प्रमाण पत्र सं. :

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री श्रीमती/कुमारी पुरुष/पत्री/पुत्री श्री जन्मतिथि (ति./मा./व.) आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण सं. स्थायी निवासी मकान सं. बाई/गाँव/गाड़ी डाकघर जिला राज्य जिनका फोटो कपर लगा है, की व्यान्पर्वक जांच की है, और संतुष्ट है कि वह विकलांगता से प्रत है. उसकी स्थायी शारीरिक बाधा विकलांगता की सीमा का दिशानिर्देश (दिशा-निर्देश जारी करने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट किये जायें) के अनुसार

मुख्यानुभाव किया गया है और नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाई गयी है :

क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	डायग्नोसिस स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गतिविषयक विकलांगता	@	
2.	मांसपेशीय दुर्बिकार		
3.	कुस्त रोग ठीक हो गया		
4.	बौनापन		
5.	मरित्यक पक्षाधात		
6.	एसिड अटैक पीड़ित		
7.	अर्थ दूषि	#	
8.	दृष्टिक्षमता	#	
9.	बहरा	£	
10.	सुनने में कठिनाई	£	
11.	स्पीच एवं लैंगेज निःशक्तता		
12.	बौद्धिक निःशक्तता		
13.	विशिष्ट अधिगम निःशक्तता		
14.	आटिज्य स्पैक्ट्रम विकार		
15.	मानसिक बीमारी		
16.	गंभीर न्यूरोलोजिकल रिथियां		
17.	मर्टीपल स्लोरोसिस		
18.	पार्किंसन बीमारी		
19.	हिमोफिलिया		
20.	थैलीसीमिया		
21.	सिकल सेल रोग		

(जो विकलांगता लागू न हो उसे कट दें)

2. यह विकलांगता सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है.

3. विकलांगता का पुनः नहीं है* :

- (I) अवश्यक नहीं है *या
- (II) वर्षों महीनों के बाद अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र/...../..... (ति.) (मा.) (वर्ष)

@ अर्थात् बाई/दाई/दोनों भुजा/पैर

अर्थात् एक नेत्र/दोनों नेत्र

□ अर्थात् बाया/दाया/दोनों कान

4. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये हैं :-

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण
-------------------	--------------------	--

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राणिकृत हस्ताक्षरी)

(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

(यदि प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल के शीघ्रपत्रों चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर।

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पश्च में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह केवल तभी वैध होगा यदि इसको जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण
-------------------	--------------------	--

सदस्य का नाम एवं मोहर	सदस्य का नाम एवं मोहर	अध्यक्ष का नाम एवं मोहर
-----------------------	-----------------------	-------------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान, जिसके पश्च में विकलांगता
प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

परिशिष्ट - छ

परीक्षार्थी की शारीरिक अशमता के संबंध में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/कु./श्रीमती (उम्मीदवार का नाम विकलांगता के साथ) के साथ पीड़ित एक व्यक्ति (विकलांगता का स्वरूप तथा प्रतिशत, विकलांगता प्रमाणपत्र में उल्लेखितानुसार) पुत्र/पुत्री निवासी (ग्राम/जिला/राज्य) की जांच कर चुका हूं और कह रहा हूं कि वह शारीरिक अशमता युक्त है जो उनकी विकलांगता के कारण उनको लेखन शमताओं को बाधित करती है।

हस्ताक्षर
एक सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जिल/चिकित्सा अधीक्षक
नाम एवं पद नाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखरेख केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

टिप्पणी :

प्रमाणपत्र सुनांगत शाखा/निःशक्तता के विशेष (अर्थात् दृष्टि शीणता नेत्र विज्ञानी, गतिविधयक निःशक्तता अस्थिरण विशेष/पीएमआर) द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-च

घोषणा

हम, अधोहस्ताप्ती, श्री/श्रीमती/कु. पात्र उम्मीदवार योग्यताभारक तथा श्री/श्रीमती/कु. पात्र लेखक (स्क्राइब) योग्यता धारक पात्र उम्मीदवार के लिए, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि :

1. स्क्राइब को उम्मीदवार द्वारा अपनी निजी लालत पर निजी पर्सन के अनुसार चिह्नित किया गया है।
2. यदि यह पापा जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की घोषणा के अनुसार नहीं है तथा स्क्राइब की योग्यता परीक्षा दे रहे उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण नीचे नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी संधेष्ठातः अस्वीकृत कर दी जायेगी। ऐसे मामले में उम्मीदवार पद हेतु अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावा खो देगा।
3. उम्मीदवार नेत्रहीनता गतिविधयक निःशक्तता (वैनो बाहे प्रभावित-बीर) तथा प्रमाणितक्षीप पक्षाधार संवार के अर्थात् मानक निःशक्तता युक्त व्यक्ति है।
4. मानक निःशक्तता युक्त अन्य संवारों के व्यक्तियों के मामले में उम्मीदवार को स्क्राइब के प्रावधानों की अनुमति प्रदान की जा सकती है जबतक कि प्रलेख सत्यपत के समय पर उन्हें निर्धारित प्राप्त (परिशिष्ट-छ) में सरकारी

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जिल/चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आग्रह का एक अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराया जाएगा कि मैं लिखने के लिए शारीरिक रूप से अव्याप्त हूं और मेरी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ज्ञा.सं. 34-02/2015.डी.टी.III दिनांक 29 अगस्त, 2018 के प्रावधानों के अनुसार स्क्राइब आवश्यक है।

5. नियमानुसार, स्क्राइब की सेवा लेने वाला उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय देता पात्र है।
6. समय ताल के महत्व तथा परीक्षा के प्रतियोगी स्वरूप का होने के द्विष्टगत उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूर्णतः संतुष्ट करता है कि उसको स्क्राइब के इसेपाल की आवश्यकता भी क्योंकि उसका लेखन नहीं है।
7. उम्मीदवार सुनिश्चित कर चुका है कि स्क्राइब उसी भर्ती गतिविधि के लिए एक उम्मीदवार नहीं है।
8. स्क्राइब सुनिश्चित कर चुका है कि वह भी भर्ती गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहा है।
9. हम यह भी बताते हैं कि यह भर्ती के फिरी भी चरण में यह प्रक्रम होता है कि इस पात्रता मार्गदर्शकों को पूरा नहीं करते हैं तथा/अथवा कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना गलत/मिल्या है अथवा कि हमने कोई महत्वपूर्ण तथ्य दिया है तो अवेदक की उम्मीदवारी (उम्मीदवार तथा स्क्राइब दोनों यदि वह उसी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके/चुकी हैं) परीक्षा के प्रावधान पर ध्यान दिये जाना निरस हो जायेगी। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात भी इनमें से कोई कमिया होती है/प्रक्रम होती है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। ऐसी परीक्षायों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपवालक अधिकारीजन के भागी होंगे।

हमारे हस्ताक्षर तथा संपर्क विवरण नीचे दिये गये हैं :

स्क्राइब	स्क्राइब	उम्मीदवार
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :	
नाम :	नाम :	
पता :		
स्क्राइब का फोटो	संपर्क सं.	संपर्क सं.

किसी भी स्विवाल की स्थिति से अग्रिम प्राप्त मान्य हमगा

परीक्षक का हस्ताक्षर